



उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय \(MeitY\)](#) के [राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग \(NeGD\)](#) ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में दो दिवसीय [साइबर सुरक्षा कार्यशाला](#) का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

NeGD द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- राज्य क्षमता निर्माण योजना का हिस्सा, [NeGD का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम](#), राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये बनाया गया है।
- यह कार्यक्रम [मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों \(CISO\)](#) और उप CISO को साइबर जोखिमों को प्रभावी ढंग से संभालने और कम करने के लिये महत्वपूर्ण कौशल से लैस करता है।
 - NeGD की [स्थापना 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय](#) द्वारा [डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन](#) के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी।
 - इसका उद्देश्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों में [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और उसे गति प्रदान करना](#) था।
- उद्देश्य:
 - [साइबर सुरक्षा जागरूकता](#): साइबर सुरक्षा मुद्दों, साइबर खतरों और [ई-गवर्नेंस](#) ढाँचे की समझ बढ़ाना।
 - [साइबर लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता \(AI\)](#): साइबर लचीलापन पारिस्थितिकी तंत्र और साइबर सुरक्षा में [AI](#) की भूमिका के बारे में प्रतभागियों के ज्ञान को बढ़ाना।
 - [साइबर सुरक्षा केंद्र](#): राज्य स्तरीय [ई-गवर्नेंस](#) प्रणालियों की सुरक्षा के लिये [साइबर सुरक्षा केंद्र](#) के महत्त्व पर शक्ति प्रदान करना।
 - [डेटा और एप्लिकेशन सुरक्षा](#): [डेटा सुरक्षा \(डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023\)](#) एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना।
 - [संकट प्रबंधन](#): प्रभावी घटना प्रतिक्रिया के लिये [साइबर संकट प्रबंधन योजना \(CCMP\)](#) विकसित करने में प्रतभागियों को प्रशिक्षित करना।
 - [पहचान एवं पहुँच प्रबंधन](#): सरकारी डिजिटल प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये पहचान एवं पहुँच प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना।

राज्य क्षमता निर्माण योजना:

- MeitY के तहत NeGD ने देश भर के राज्य नेताओं, CISO और अधिकारियों के लिये [क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक शृंखला](#) शुरू की है।
- ये कार्यशालाएँ [साइबर खतरों के प्रबंधन](#), सुरक्षा IT ढाँचे को अपनाने और [डिजिटल शासन को मज़बूत करने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यास](#) प्रदान करती हैं।

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- इसका उद्देश्य भारत में [व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना](#) तथा ऐसे डेटा के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण को [वर्धित नियंत्रित करना](#) है।
- [प्रमुख विशेषताएँ](#):
 - अनुपालन लागू करने के लिये [भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की](#) स्थापना की गई।
 - डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिये [स्पष्ट सहमति](#) की आवश्यकता होती है।
 - [डेटा न्यायियों](#) को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cybersecurity-workshop-in-uttar-pradesh>

